बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

पत्रांक– 1/छात्रावास (मरम्मति)-31-01/2010 – / पटना, दिनांक–

प्रेषक,

हुकुम सिंह मीना (भा.प्र.से.)
सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

विषयः– छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में मरम्मति किये जाने के बारे में दिशा–निर्देश के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि आवासीय विद्यालयों में छात्रावासों की मरम्मति के लिए मरम्मति का कार्य सरकार की प्राथमिकता में है तथा आपके द्वारा सभी छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वेक्षण के बाद प्राकल्लन की स्वीकृति दी गई। दिनांक–16.10.2014 को राज्य स्तरीय समीक्षा के दौरान सारे प्राक्कलन की राशि तथा मरम्मति होने वाले विद्यालयों की सूची आपको दी गई तथा इस पर विचार–विमर्श किया गया तथा आप से यह पृच्छा की गई कि यदि इस सूची में कोई आपकी प्राथमिकता से आवासीय विद्यालय या छात्रावास छूट गया है तो आप प्रतिवेदित करें और यदि कोई छात्रावासों की प्राथमिकता सूची के अनुसार स्वीकृति नहीं हुई है तो उसकी भी सूची दें। सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि मरम्मति के दौरान निम्नलिखित दिशा–निर्देशों पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें–

1. मरम्मति का कार्य किसी भी परिस्थिति में 01 नवम्बर 2014 से पूर्व प्रारंभ हो जाय। इसके संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता से संपर्क कर कार्य का प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी तरह का कोई विलम्ब हो तो कृपया अद्योहस्ताक्षरी या निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचित करें।
2. मरम्मति की सूची बेवसाईट पर भी उपलब्ध है। इसका अवलोकन कर लिया जाय। मेरे स्तर से सचिव, भवन निर्माण विभाग से अनुरोध किया जा रहा है कि सभी कार्यपालक अभियंता को निर्देश निर्गत किया जाय जिससे कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाय।
3. आवासीय विद्यालयों में छात्रावासों की मरम्मति का कार्य प्राकल्लन के अनुसार दर्ज सामग्रियों की गुणवत्ता के अनुसार सुनिश्चित करायें। यदि किसी भी तरह का विचलन हो तो उसे अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में निश्चित रूप से लायें, जिससे अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।
4. मरम्मति के कार्य में शौचालय एवं रसोई को प्राथमिकता दी जाय। रसोईघर के धुआँ की चिमनी छात्रावास में रह रहे छात्रों के स्तर से ऊँचा हो जिससे चिमनी के धुआँ का उनका स्वास्थ्य पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
5. किसी भी परिस्थिति में मरम्मति का कार्य फरवरी माह से पूर्व कराना सुनिश्चित करें, जिससे छात्रावासों में रहने वाले छात्रों का शैक्षणिक वातावरण में सुधार हो सके।
6. मरम्मति का कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ–साथ जिसमें सीमेंट का उपयुक्त मात्रा हो एवं पानी से सिंचाई इत्यादि सुनिश्चित करें। आप जानते हैं कि जिस कार्य में सीमेंट का मसाला लगाया जाता है उसमें कम–से–कम सात दिनों तक उसको गीला रखना पड़ता है तभी गुणवत्ता आती है। संबंधित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जाय कि वे मरम्मति के कार्य में उपर्युक्त मानक के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी

तरह की कमी पायी जाती है तो उसके लिए संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी।

उपर्युक्त निर्देशों का पालन शीघ्रता से एवं नियमित समय में की जाय।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–1/छा०ना०म० (संधा०)–31–01/2010– दिनांक– 20.10.14

प्रतिलिपि– सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आपसे अनुरोध है कि अपने कार्यपालक अभियंता को निदेश दें कि अपने प्राक्कलन की कॉपी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें, ताकि मरम्मति का कार्य गुणवत्ता के साथ संपन्न हो सके।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–1/छा०ना०म० (संधा०)–31–01/2010–2219 दिनांक– 20.10.14

प्रतिलिपि– विकास आयुक्त/ मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव